

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या - 2111/2007/अलवर

मैसर्स पी.आई.बी.यू. इण्डिया प्राइवेट लि०,  
नया नाम :- सिगवर्क इण्डिया प्राइवेट लि०,  
भिवाड़ी।

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. कलेक्टर मुद्रांक, अलवर।
2. उप पंजीयक, भिवाड़ी, अलवर।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुनीलनाथ,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/06/2014

निर्णय



निगरानीकर्ता (प्रार्थी) द्वारा यह निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक) वृत्त अलवर के निर्णय दिनांक 14.09.2007 एवं संशोधन आदेश दिनांक 08.10.2007 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे "मुद्रांक अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के सुसंगत तथा संक्षेप में इस प्रकार है कि भारतीय कम्पनी एक्ट 1956 (संक्षेप में "कम्पनी अधिनियम") के तहत पंजीकृत एक कम्पनी M/S SICPA India Limited (संक्षेप में **SIL**) की 3 इकाइयां (i) M/S Security links Business Unit (SBU) (ii) M/S Product Security Business Unit (PSBU) तथा (iii) M/s Packaging Inks Business Unit (PIBU) प्रार्थी थी। SIL के पास भिवाड़ी राजस्थान एवं ममरिंग सिविकम में दो उत्पादन सुविधा थी। भिवाड़ी की इकाई राजस्थान दिनांक 25.03.1995 से उत्पादन में थी जो कि उनकी अन्य इकाइयां PBU व प्रार्थी PIBU के लिए विभिन्न प्रकार की स्याही का उत्पादन कर रही थी तथा ममरिंग (सिविकम) की इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन मई 2005 में प्रारम्भ हुआ था जो कि SBU व PSBU के लिए स्याही निर्माण कर रही थी। निगमिक पुनर्रचना के तहत SIL के निदेशक मंडल ने SIL के व्यवसाय को दो कम्पनियों में विभाजित कर पुनर्रचना करने का निश्चय लिया जिसमें SIL के तहत समान लाभ वाले शेयर होल्डर्स रहेंगे। इसलिए प्रार्थी PIBU को इन्कोरपोरेट किया तथा एक रचना की स्कीम तैयार की गयी जिसमें प्रार्थी कम्पनी

लगातार.....2

PIBU, SIL की अण्डरटेकिंग के रूप में भिवाड़ी राजस्थान में स्थापित की गयी जो निश्चित तिथि (Appointed Date) को अस्तित्व में आयेगी। यह स्कीम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (19AA) के तहत विहित Demerger की शर्त पूरी करते हुए बनाई गई। कम्पनी अधिनियम की धारा 391 व 394 के तहत दो रिट याचिकाएं संख्या 331/2005 व 332/2005 क्रमशः SIL व प्रार्थी PIBU द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त स्कीम की स्वीकृति हेतु दायर की गई। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.08.2006 को स्कीम जैसी कि अनुसूची-I में थी, स्वीकृत कर दिनांक 01.06.2005 से प्रभावी की गई। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में भिवाड़ी की उत्पादक ईकाई के नाम में परिवर्तन हेतु आवेदन करने पर अप्रार्थी सं. 1 ने माननीय न्यायालय के निर्णय से हस्तारित कम्पनी को पंजीबद्ध करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। प्रार्थी की ओर से ज्ञापन दिया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 394 के तहत स्वीकृत स्कीम के निर्णय पर किसी प्रकार की मुद्रांक शुल्क देय नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने मुद्रांक अधिनियम की धारा 51, 55 व 73 के तहत दिनांक 18.07.2007 को संलग्न जारी कर पूछा कि माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत स्कीम के निर्णय पंजीकरण अधिनियम 2008 की धारा 17 के तहत पंजीयन योग्य है। नोटिस के जवाब दिनांक 24.08.2007 को विचारित कर अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 14.09.2007 को निगरानी अधीन आदेश पारित कर रु. 1,10,00,000/- की मांग सृजित की। इस आदेश में संशोधन हेतु प्रार्थी ने मुद्रांक अधिनियम की धारा 52 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.2007 को प्रस्तुत किया जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने आदेश दिनांक 08.10.2007 को अस्वीकार किया। उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से लिखित बहस एवं मौखिक कथन में कहा गया कि एस.आई.एल के निदेशक मण्डल द्वारा तैयार स्कीम को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.03.2006 द्वारा दिनांक 01.06.2005 से प्रभावी अंकित कर स्वीकृति प्रदान की गई है जो कि ट्रान्सफरर व ट्रान्सफरी कम्पनियों के सभी अंशधारियों व देनदारों (Creditors) पर बाध्यकारी है जिसके तहत ट्रान्सफरर कम्पनी एस.आई.एल की सभी सम्पतियां जो कि अनुसूची द्वितीय के प्रथम, द्वितीय व तृतीय भाग में वर्णित है, अधिकार व शक्तियां ट्रान्सफरी (प्रार्थी) कम्पनी को अंकित तिथि 01.06.2005 से हस्तान्तरित हो गई है जिसके लिए अलग विलेख की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय का यह वैधानिक आदेश है जो सभी अंशधारियों, लेनदारों, देनदारों पर लागू है। इस तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों AIR 1970 SC 1041 JK Bombay(P) Limited Versus New Kaiser I Hind Spinning & weaving Co.Ltd, (2005) 10 SCC 682 Administrator of the specification under taking of

लगातार.....3


the UTI V/s Garware Polyester Ltd and (1979) 3SCC 54 SK Gupta Versus K.P Jain उद्धरित कर कथन किया कि अब यह विधि का सिद्धान्त निर्णीत व वृहत्तर रूप से स्वीकृत हो चुका है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 391-394 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत स्कीम वैधानिक प्रभाव रखती है जिसके लिए अलग से करार की आवश्यकता नहीं है।

बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि कम्पनी अधिनियम की धारा में 391-394 के तहत (i) एक कम्पनी को पुनर्रचना (Reconstruction) या (ii) दो या दो से अधिक कम्पनियों के समामेलन की स्कीमें तैयार की जा सकती है। “पुनर्रचना” की कम्पनी अधिनियम के तहत परिभाषा के अभाव में Halsbur’s law of England 4<sup>th</sup> Edition volume VII में वर्णित परिभाषा को जैसा कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने CIT V/s Master Raghuveer trust (1985) 151 ITR 368 को उद्धरित किया है निम्नानुसार है :-

“ Where an undertaking is being carried on by a company and is in substance transferred, not to an outsider, but to another company consisting substantially of the same shareholders with a view to its being continued by the transferee company, there is a reconstruction. It is none the less a reconstruction because all the assets do not pass to the new company, or all the shareholders of the transferor company are not shareholders in the transferee company, or the liabilities of the transferor company are not taken over by the transferee Company.”

Amalgamation or merger की भी कम्पनी अधिनियम के तहत परिभाषा के अभाव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त Halsbur’s law of England में वर्णित परिभाषा को AIR 1991 SC 70 M/s Saraswati Industrial syndicate Ltd versus CIT में अपनाया। आयकर अधिनियम की धारा 2 (IB) के तहत समामेलन या विलय को परिभाषित किया है। ,

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी का SIL से Demerger हुआ है। “Demerger” को कम्पनी अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं दी गई है लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 2 (19AA) के तहत परिभाषित किया गया है जिसके तहत डीमर्जर (विलगीकरण) की स्कीम के तहत एक कम्पनी की दो या अधिक अण्डरटेंकिंग्स का विभाजन होता है, आयकर अधिनियम के प्रावधान में वर्णित शर्तों के अध्वधीन ही विलगीकरण की स्कीम माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई है। स्कीम के भाग II के क्लोज 3 को महत्वपूर्ण बताते हुए निर्णय में उद्धरित किया है कि :-





लगातार.....4


“ This Scheme has been drawn up to company with the conditions relating to “Demerger” as specified under section 2[19AA] of the Income Tax Act, 1961. If any terms or the provision of this scheme are found or interpreted to be inconsistent with the said provision at a later date including resulting from an amendment of law for any other reason what so ever, the provision of the said section of the Income Tax Act, 1961 shall prevail and the scheme shall stand modified to the extent determined necessary to comply with section 2[19AA] of the Income Tax Act, 1961.”

अग्रिम कथन किया कि मुद्रांक अधिनियम दिनांक 27.05.2004 से प्रभावी, के तहत कन्वेन्स की परिभाषा व अनुसूचि II के आर्टिकल 21 के तहत सम्मेलन को प्रथम बार शामिल किया गया है जिसके अनुसार धारा 2(ix) के तहत कन्वेन्स में उक्त क्लोज (iv) में Every order made by the High Court under Sec. 394 of the Companies Act 1957 (1 of 1956) in respect of Amalgamation of the companies को शामिल किया गया है चूंकि डीमर्जर पर मुद्रांक शुल्क आरोपण का मुद्रांक अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है इसलिए मुद्रांक शुल्क देय नहीं है। अपने तर्क को ठोस बनाते हुए कथन किया कि अब यह न्याय का सिद्धान्त भली भांति स्थापित हो चुका है कि राजकोषीय विधान (Fiscal Statute) कठोरता से निर्मित होता है जिसमें संभावना की गुंजाइश नहीं होती है। विधान में उपयोग शब्दों से बाहर कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता। तर्क के समर्थन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (1999) 8 SCC 667 Mathuram Agrawal V. State of M.P का सुसंगत अंश निम्न प्रकार उद्धरित किया है :-

“ The Intention of the legislature in a taxation statute is to be gathered from the language of the provisions particularly where the language is plain and unambiguous. In a taxing Act it is not possible to assume any intention or governing purpose of the statute more than what is stated in the plain language. It is not the economic results sought to be obtained by making the provision which is relevant in interpreting a fiscal statute. Equally impermissible is an interpretation which does not follow from the plain, unambiguous language of the statute. Words cannot be added to or substituted so as to give a meaning to the statute which will serve the spirit and intention of the legislature. The statute should clearly and unambiguously convey the three components of the tax law i.e. the subject of the tax, the person who is liable to pay the tax and the rate at which the tax is to be paid. If there is any ambiguity regarding any of these ingredients in a taxation statute then there is no tax in law. Then it is for the legislature to do the needful in the matter”

इसी प्रकार का शीर्ष न्यायालय के निर्णय (2004) 8 SCC 173 CCE Pondicherry V. ACER India Ltd. का सुसंगत अंश भी निम्न प्रकार उद्धरित किया है।

“ It is also well-settled rule of construction of a charging section that before taxing a person it must be shown that he falls within the ambit thereof by clear words used as no one can be taxed by implication. It is further well-settled that a transaction in a fiscal legislation cannot be taxed only on any doctrine of “the substance of the matter” as distinguished from its legal signification, for a subject is not liable to tax on supposed “spirit of the law” by inference or by analogy.”





लगातार.....5

उक्त निणयों के अनुकरण में कथन किया कि मुद्रांक अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत Demerger के आदेश पर किसी प्रकार के मुद्रांक शुल्क का आरोपण नहीं किया जा सकता। राज्य के विधान ने मुद्रांक अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के कम्पनी अधिनियम की धारा 394 के तहत स्वीकृत समामेलन से संबंधित आदेश पर ही मुद्रांक शुल्क देय विहित किया है। अपने तर्क के समर्थन में अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक के मुद्रांक अधिनियमों की ओर ध्यान दिलाकर कथन किया कि उनके सुसंगत विधानों के तहत कन्वेन्स की परिभाषा व सम्बन्धित आर्टीकल्स में पुनर्रचना या विलगीकरण (Reconstruction or demerger) को भी शामिल कर रखा है लेकिन राजस्थान के विधान मुद्रांक अधिनियम में ऐसा नहीं है। राजस्थान के विधान को इंगित करते हुए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने **M/S Associated Alcohols & Breweries to & Jaipur distilleries Ltd** के बीच संरचना की स्कीम को स्वीकृत करते हुए निर्णय दिनांक 22.12.2006 में सुसंगत अंश को निम्न प्रकार उद्धरित है :-

**“Additionally, the Rajasthan Stamp Act, 1998 does not include a scheme of demerger within the ambit of the definition of conveyance which includes every order made by the High Court under Section 394 of the Act in respect of amalgamation of companies. Therefore no stamp duty is leviable for a scheme of demerger in the State of Rajasthan”**

अग्रिम कथन किया कि राजस्थान में मुद्रांक अधिनियम के तहत माननीय उच्च न्यायालयों के कम्पनी अधिनियम की धारा 394 के तहत या बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 की धारा 44A के तहत स्वीकृत आदेश पर मुद्रांक शुल्क के करारोपण के प्रावधान धारा 2(ix) अनु. 21 में संशोधन दिनांक 26.03.2012 द्वारा किया गया इसलिए दिनांक 26.03.2012 से पूर्व कम्पनी अधिनियम की धारा 394 के तहत समामेलन के आदेश पर ही मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है तथा विवादित डीमर्जर के आदेश पर 26.03.2012 से मुद्रांक कर आरोपणीय है।

अग्रिम कथन यह भी किया कि उक्त तर्कों के होते हुए भी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 1 दिनांक 16.01.1937 जो कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 तहत जारी की गई थी तथा अब तक प्रभावी है, के तहत भी ट्रांसफरर कम्पनी को ट्रांसफरी कम्पनी के 90 प्रतिशत अंशधारी पूंजी का लाभ मिलता हो या हस्तांतरण मूल कम्पनी से सहायक कम्पनी में हो तथा उनमें से कोई भी सहायक कम्पनी या मूल कम्पनी में 90 प्रतिशत अंशधारी पूंजी का हिस्सा रखती हो या हस्तांतरण दो सहायक कम्पनियों के बीच हो जिनमें मूल कम्पनी का अंशधारी पूंजी का 90 प्रतिशत से कम नहीं हो। ऐसे हस्तांतरण पर भी मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान की गयी हो। उक्त

लगातार.....6

अधिसूचना के संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने AIR 2001 Raj 184 Stat of Rajasthan versus Bhilwara Spinning Ltd & ors में निर्णित किया है कि :-


**“That the notification was designed to facilitate reconstruction of a Company or amalgamation of two companies which are more or less under same ownership so that they may be able to rearrange their affairs without being saddled with liability for payment of Stamp Law (Adaptation) Act, 1952 which provided that Indian Stamp Act, 1899 of the Central Legislation as amended from time to time, shall apply to whole of State of Rajasthan, w.e.f. 1.4.1995, on the applicability of such notification under Indian Stamps Act prior to 1.4.58 and were in force, within the State of Rajasthan as on that date particularly when no provision to the contrary has been made in the Adaptation Act to affect the operation of notification for relaxation of the provision of the Act, particularly in the case of general remission like the one under Notification dated 16-1-1937**

मुद्रांक अधिनियम की धारा 91(2) के अन्तर्गत निरसित अधिनियम के तहत जारी वे सभी अधिसूचना जो कि इस अधिनियम की भावना के विरुद्ध नहीं है, प्रभावी रहेगी। इसलिये यह अधिसूचना भी प्रभावी है। इस अधिसूचना के तहत भी प्रार्थी कम्पनी के 100 प्रतिशत अंशधारी SIL ही है। इसलिये मुद्रांक शुल्क से छूट प्राप्त है।

अग्रिम यह भी कथन किया है कि कलेक्टर मुद्रांक ने चल व अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.03.2006 में संलग्न डीमर्जर स्कीम की अनुसूची में प्रभावित तिथि 1.6.2005 को अवधारित कर स्कीम को स्वीकृति प्रदान की थी जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, के बावजूद दस्तावेज पंजीयन हेतु प्राप्त तिथि को बाजार भाव से मूल्यांकन कर भूल की थी जिसके लिये संशोधन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 52 स्टाम्प एक्ट प्रस्तुत किया था उसे भी अस्वीकार कर विधिक भूल की है।

अतिरिक्त लिखित बहस में यह भी कथन किया है कि कलेक्टर मुद्रांक ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अंतिम भाग में पैरा 16 में कम्पनी अधिनियम की धारा 391(2) व 394 के तहत समामेलन की स्कीम के स्वीकृति देना अंकित करने के कारण मुद्रांक अधिनियम के तहत मुद्रांक शुल्क आरोपित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में टंकण संबंधी इस भूल को संशोधित करने हेतु आवेदन किये जाने पर माननीय न्यायालय ने संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 12.03.2014 के आदेश से Amalgamation के स्थान पर “Scheme of arrangement/demerger” पढ़ा जाना भी अंकित किया है, इसलिये विवाद पूर्णतया समाप्त हो गया है।

उक्त आधारों पर रिविजन स्वीकार कर कलेक्टर मुद्रांक के ओदश को अपास्त किये जाने पर बल दिया।




लगातार.....7



अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह ने कथन किया कि मुद्रांक अधिनियम के तहत सम्पत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक शुल्क देय है। कन्वेंस की परिभाषा में किसी हस्तान्तरण के दस्तावेज का उल्लेख नहीं होने पर भी शुल्क आरोपणीय है क्योंकि कन्वेंस की परिभाषा में वर्णित सूची शामिल की गई है अर्थात् परिभाषा सूचि तक ही सीमित नहीं है। अग्रिम कथन किया कि दिनांक 26.3.2012 से राज्य सरकार द्वारा मुद्रांक अधिनियम में कन्वेंस की परिभाषा व आर्टिकल 21 में संशोधन पूर्व प्रविष्टि में मात्र स्पष्टीकरण प्रकृति का है इसलिये प्रश्नगत निर्णय दस्तावेज सम्पत्ति हस्तान्तरण से संबंधित ही होने के कारण मुद्रांक शुल्क आरोपण योग्य है।


अग्रिम कथन किया कि प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.12.2006 को संदर्भित किया है लेकिन उस निर्णय में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम प्रासंगिक ही नहीं था इसलिये निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं माना जा सकता है।

अन्त में कथन किया कि कम्पनी अधिनियम की धारा 394 के तहत प्रश्नगत स्कीम के तहत सम्पत्तियों का हस्तांतरण हुआ है इसलिये स्कीम कन्वेंस की श्रेणी में आने के कारण मुद्रांक शुल्क देय है। कलेक्टर मुद्रांक ने मुद्रांक शुल्क वूसली के आदेश की पुष्टि किये जाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने जवाबुल जवाब में कथन किया कि मुद्रांक अधिनियम में संशोधन दिनांक 26.03.2012 स्पष्टीकरण प्रकृति का नहीं है बल्कि Substantial है। संशोधन के उद्देश्यों में या प्रावधानों में कहीं भी संशोधन को स्पष्टीकरण घोषित नहीं किया है, न ही संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है। इसलिए यह संशोधन दिनांक 12.03.2012 से ही प्रभावी है। तथ्य के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के (2007)9 SCC 655 M/s Virtual Soft Systems V. CIT. Delhi I निर्णय को उद्धरित किया है। यह भी कथन किया कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का संदर्भित निर्णय वैधानिक है तथा संबंधित सभी साक्ष्यों पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है।

अतः उक्त आधारों पर अप्रार्थी के तर्कों को अस्वीकार कर अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय का सांगोपांग अध्ययन किया गया तथा कलेक्टर मुद्रांक की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। उद्धरित सभी निर्णयों का भी भलीभांति अध्ययन किया गया।




लगातार.....8

प्रकरणों के तथ्यानुसार मूल कम्पनी SICPA India Ltd. (SIL) की तीन इकाईयों में से राजस्थान भिवाडी स्थित प्रार्थी ईकाई को उसकी परिसम्पत्तियों, अंशधारियों व लेनदारियों सहित एरेजमेंट करने की SIL के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित स्कीम जो कम्पनी अधिनियम की धारा 391(2) व 394 के तहत सपठित आयकर अधिनियम की धारा 2(19AA) में परिभाषित है, अनुसार “Demerger” को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दो रिट याचिकाओं के जरिये वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.03.2006 द्वारा 01.06.2005 से प्रभावी स्कीम को स्वीकृति प्रदान की। एरेजमेंट की स्कीम के अनुसार प्रार्थी ईकाई को मूल इकाई SIL द्वारा स्कीम में संलग्न अनुसूची अनुसार परिसंपत्तियों व अंश व समस्त लेनदारियों सहित परिसंपत्तियां स्थानान्तरित की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.03.2006 पारित करते हुए पैरा संख्या 16 में निम्न प्रकरण निर्णय अंकित किया है :—


16. Having regard to the averments made in the petition. The material placed on record and the affidavits filed on behalf of the companies and looking into the nature of objection raised. I am satisfied that the prayer made in the petition deserves to be allowed. I do not find any legal impediment to the grant of sanction of the scheme for arrangement. Hence sanction is hereby granted to the above mentioned scheme of amalgamation under Sections 391[2] and 394 of the Act. The parties will comply with statutory requirements in accordance with law.


इस निर्णय मय स्कीम ऑफ एरेजमेंट के दस्तावेज अप्रार्थी संख्या एक के समक्ष पंजीयन हेतु दायर करने पर कलेक्टर मुद्रांक ने इस निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त पैरा 16 अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 394 के तहत समामेलन की स्कीम स्वीकृत करने व संलग्न अनुसूचियों अनुसार जारी संपत्तियों के प्रार्थी कम्पनी को हस्तांतरण के आधार पर रिविजन अधीन निर्णय पारित किया है।

प्रश्न यह उठता है कि आया माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय मय स्कीम पर मुद्रांक शुल्क देय है ? मुद्रांक अधिनियम की धारा 2(ix) के तहत कनवेंस को परिभाषित निम्न प्रकार किया है :—

Section 2 (ix) “Conveyance” includes.—

- (i) a conveyance on sale,
- (ii) every instrument,
- (iii) every decree of final order of any civil court,
- (iv) every order made by the High Court under section 394 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) in respect of amalgamation of the companies.



 लम्मातार.....9




वर्णित कन्वेंस पर Article 21 अनुसार मुद्रांक शुल्क देय है :-

लिखितों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
<p>21. धारा 2(xi) द्वारा यथा — परिभाषित हस्तान्तरण पत्र</p> <p>(i) यदि स्थावर सम्पत्ति से संबंधित हो,</p> <p>(ii) यदि जंगम, सम्पत्ति से संबंधित हो,</p> <p>(iii) यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 1) की धारा 394 के अधीन उच्च न्यायालय में अधीन आदेश से कम्पनीयों के समामेलन से संबंधित हो।</p> <p>छूटें</p> <p>भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 14) के अधीन की गयी प्रविष्टि द्वारा प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन।</p> <p>स्पष्टीकरण —(i) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय कर के करार या अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामें या हस्तान्तरण-पत्र, पट्टे तथा आबण्टन-पत्र, पट्टा, अनुज्ञाप्ति आदि, के अनुक्रम में निष्पादित किसी भी अन्य लिखित को ऐसी लिखत के निष्पादन के पूर्व, निष्पादन के समय या उसके पश्चात् ऐसी सम्पत्ति के कब्जे के अन्तरण के मामले में हस्तान्तरण-पत्र समझा जायेगा और उस पर तदनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा:</p> <p>परन्तु धारा 51 के उपबंध ऐसे करार या मुख्तारनामें या लिखतों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी हस्तान्तरण पत्र को लागू होते हैं: परन्तु यह और कि ऐसे करार या मुख्तारनामें या लिखत पर पहले ही संदत्त स्टाम्प शुल्क को ऐसी लिखत के अनुसारेण में, किसी हस्तान्तरण-पत्र या पट्टे के पश्चात् वर्ती निष्पादन के समय उस हस्तान्तरण-पत्र या पट्टे पर प्राभार्य शुल्क की रकम के प्रतिसमायोजित किया जायेगा।</p> <p>स्पष्टीकरण —(ii) खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति का बाजार मूल्य हस्तान्तरिती कम्पनी द्वारा या तो विनिमय के रूप में या अन्यथा निर्गमित या आवंटित शेयरों के कुल मूल्य की रकम और ऐसे आमेलन के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम यदि कोई हो, को समझा जायेगा।</p>	<p>सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ग्यारह प्रतिशत</p> <p>सम्पत्ति के बाजार मूल्य का आधा (0.5) प्रतिशत।</p> <p>सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दस प्रतिशत</p>

प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.03.2012 से पूर्व कम्पनी एक्ट की धारा 394 के तहत समामेलन से संबंधित निर्णयों द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्तियों के दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क देय है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कम्पनी अधिनियम की धारा 391(2) व 394 के तहत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत स्कीम Arrangement/Demerger बनाई गई है कम्पनी अधिनियम में Amlagamation, arrangement/ Demerger को परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि आयकर अधिनियम की धारा 2(1बी) व (19AA) अनुसार इन्हें परिभाषित किया गया है।

परिभाषा अनुसार :-




लगातार.....10

**2(1B) : Amlagamation**, in relation to companies, means the merger of one or more companies with another company or the merger of two or more companies to from one company (the company or companies which so merge being referred to as the amalgamating company or companies and the company with which they merge or which is formed as a result of the merger, as the amalgamated company) in such a manner that-

- (i) All the property of the amalgamating company or companies immediately before the amalgamation, becomes the property of the amalgamated company by virtue of the amalgamation;
- (ii) All the liabilities of the amalgamating company or companies immediately before the amalgamation become the liabilities of the amalgamated company by virtue of the amalgamation;
- (iii) Shareholders holding not less than nine-tenths in value of the shares in the amalgamating company or companies (other than shares already held therein immediately before the amalgamation by, or by a nominee for, the amalgamated company or its subsidiary) become shareholders of the amalgamated company by virtue of the amalgamation, otherwise than as a result of the acquisition of the property of one company by another company pursuant to the purchase of such property by the other company or as a result of the distribution of such property to the other company after the winding up of the first mentioned company.”

**2(19AA) : Demerger**, in relation to companies, means the transfer, pursuant to a scheme of arrangement under sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) by a demerged company of its one or more undertakings to any resulting company in such a manner that –

- (i) All the property of the undertaking being transferred by the demerged company, immediately the demerger, becomes the property of the resulting company by virtue of the demerger;
- (ii) All the liabilities relatable to the undertaking, being transferred by the demerged company, immediately before the demerger, become the liabilities of the resulting company by virtue of the demerger;
- (iii) The property and the liabilities of the undertaking or unddrtakings being transferred by the demerged company are transferred at values appearing in its books of account immediately before the demerger;
- (iv) The resulting company issues, in consideration of the demerger, its shares to the shareholders of the demerged company on a proportionate basis;

— Sub —

लगातार.....11

- (v) The shareholders holding not less than three-fourths in value of the shares in the demerged company (other than, shares already held therein immediately before the demerger, or by a nominee for, the resulting company or, its subsidiary) become shareholders of the resulting company or companies by virtue of the demerger, otherwise than as a result of the acquisition of the property or assets of the demerged company or any undertaking thereof by the resulting company;
- (vi) The transfer of the undertaking is on a going concern basis;
- (vii) The demerger is in accordance with the conditions, if any, notified under sub-section(5) of section 72A by the Central Government in this behalf.



Explanation I : For the purposes of this clause, “undertaking” shall include any part of an undertaking, or a unit or division of an undertaking or a business activity taken as a whole, but does not include individual assets or liabilities or any combination not constituting a business activity.

Explanation II : For the purposes of this clause, the liabilities referred to in sub-clause (ii) shall include-

- a. The liabilities which arise out of the activities or operations of the undertaking;
- b. The specific loans or borrowings (including debentures) raised, incurred and utilized solely for the activities or operations of the undertaking; and
- c. In case, other than those referred to in clause (a) or clause (b), so much of the amounts of general or multipurpose borrowings, if any, of the demerged company as stand in the same proportion which the value of the assets transferred in a demerger bears to the total value of the assets of such demerged company immediately before the demerger.

Explanation III : For determining the value of the property referred to in sub-clause (iii), any change in the value of assets consequent to their revaluation shall be ignored.

Explanation IV : For the purposes of this clause, the splitting up or the reconstruction of any authority or a body constituted or established under a Central, State or provincial Act, or a local authority or a public sector company, into separate authorities or bodies or local authorities or companies, as the case may be, shall be deemed to be a demerger if such split up or reconstruction fulfils such conditions as may be notified in the official Gazette, by the Central Government.”

 लगातार.....12

प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय से स्वीकृत स्कीम अनुसार प्रार्थी ईकाई के व्यवसाय की पुनर्रचना की गई है जो कि Demerger की परिभाषा में शुमार होती है। मुद्रांक अधिनियम के तहत Demerger संबंधी आदेशों पर मुद्रांक शुल्क देयता नहीं है जैसा कि अन्य राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरात राज्यों में है। मुद्रांक अधिनियम तहत कन्वेंस की परिभाषा एवं आर्टिकल 21 के अन्तर्गत कम्पनी एक्ट की धारा 394 के आदेशों में Demerger को दिनांक 26.03.2012 से पूर्व शामिल नहीं किया गया है इसलिए माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णयों (1999) 8 SCC 667 एवं (2004) 8 SCC 173 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार Demerger की स्कीम के आदेश पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता। राजस्थान मुद्रांक कर अधिनियम के तहत arrangement/Demerger को Conveyance में शामिल नहीं होने के कारण माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इस पर मुद्रांक शुल्क देय नहीं माना है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट प्रावधानों में मुद्रांक अधिनियम को दिनांक 26.03.2012 से संशोधित किया गया है। ये संशोधन तुरन्त प्रभाव अर्थात् दिनांक 26.03.2012 से प्रवृत्त किये गये हैं। **Raj Finance Act 2012** की धारा 2 अनुसार :-


“2 Declaration U/s 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958 in pursuance of Sec 3 of the Raj. Previsoinal collection of Taxes Act 1958 (Act No. 23 of 1958) it is here by declared that it expedient in the public interest that provision of Clause 3 & 4 of this Bill shall have immediate effect under the said Act”


इसी प्रकार राजस्थान वित्त विधेयक 2012 की प्रस्तावना में भी राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2012-13 के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित अधिनियमों जिसमें राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1958 भी शामिल है, में संशोधन किया गया है।

(i) संशोधन अनुसार अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xi) के विधमान उपखण्ड (iv) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया गया।

(iv) कम्पनी अधिनियम 1956/1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1 की धारा 394 के अधीन और बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश।

(ii) मुद्रांक अधिनियम के अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) में भी विधमान अभिव्यक्ति amalgamation of companies by the order of the High Court under Section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) के स्थान पर अभिव्यक्ति order under Section 394 of the Companies Act (Central Act No. 1 of 1956) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) प्रतिस्थापित की जायेगी।





लगातार.....13

स्पष्टीकरण (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे आमेलन के लिए संदत्त” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसे आमेलन या यथास्थिति पुनर्गठन के लिए संदत्त” प्रतिस्थापित की जायेगी।

मुद्रांक अधिनियम के उक्त संशोधन से कन्वेंस की परिभाषा को वृहत्तर किया गया है जो कि तुरंत प्रभाव से प्रभूत है। माननीय शीर्ष न्यायालय ने (2007) 9 SCC 665 के पैरा 50 & 51 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :—

“50.....It is the well settled legal position that an amendment can be considered to be declaratory and clarificatory only if the statute itself expressly and unequivocally states that it is a declaratory and clarificatory provision. If there is no such clear statement in the statute itself, the amendment will not be considered to be merely declaratory or clarificatory.

51. Even if the statute does contain a statement to the effect that the amendment is declaratory or clarificatory, that is not the end of the matter. The Court will not regard itself as being bound by the said statement made in the statute but will proceed to analyse the nature of the amendment and then conclude whether it is in reality a clarificatory or declaratory provision or whether it is an amendment which is intended to change the law and which applies to future periods.”


संशोधन अनुसार स्पष्ट है कि मुद्रांक कर अधिनियम के तहत संशोधन अनुसार Demerger के आदेशों पर मुद्रांक शुल्क दिनांक 26.03.2012 से प्रभावी है।


कलेक्टर मुद्रांक ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में पैरा 16 में समामेलन की स्कीम को स्वीकृति दिया जाना अंकित होने के आधार पर इस पर मुद्रांक शुल्क देय माना है। माननीय न्यायालय ने इस आदेश दिनांक 28.03.2006 में संशोधन दिनांक 12.03.2014 द्वारा पैरा 16 में अभिव्यक्ति Scheme of amalgamation के स्थान पर अभिव्यक्ति “Scheme of arrangement/Demerger” प्रतिस्थापित की है। माननीय न्यायालय द्वारा संशोधन के आलोक में प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत Demerger की स्कीम को स्वीकृति प्रदान की गई है। Demerger की स्कीम पर तत्समय मुद्रांक शुल्क आरोपण मुद्रांक अधिनियम में प्रावधानों के अभाव में मुद्रांक शुल्क आरोपणीय नहीं है।

उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाकर कलेक्टर मुद्रांक के आदेश दिनांक 14.09.2007 को अपास्त किया जाता है।

निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि, यदि कोई हो, नियमानुसार लौटाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

  
(अमर सिंह) 24-6-14  
सदस्य

  
(जे.आर.लोहिया)  
सदस्य  
24/06/14